

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला-बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 257 / 2007
संस्थान दिनांक 29.06.2007

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

महेन्द्रसिंह पिता बादामसिंह पटेल, आयु 24 वर्ष,
निवासी-ग्राम सामेड़ा, थाना कसरावद,
हाल मुकाम ग्राम मिर्जापुर, थाना कसरावद
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 30/01/2015 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 74/2007 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में दिनांक 29.06.2007 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 26.05.2007 को 8:30 बजे, ग्राम अंजड़-बड़वानी रोड़ साईं मंदिर के पास, आम रोड़ पर वाहन पाटीदार बस क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 को उपेक्षापूर्ण ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण का मानव जीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन को पलटी खिलाकर आहत भगा, जेबोनिशा, शंकर, झबरसिंग, सुमनबाई, श्यामबाई, गयाबाई, कमलाबाई, पार्वतीबाई, रामप्यारीबाई, मंशाराम, आकाश, मोहन, हेमंत, मुकुंद, राकेश, मोहन, संतुबाई एवं भुरीबाई को उपहति कारित करने तथा भूपेन्द्र को घोर उपहति कारित करने के संबंध में धारा 279, 337 (19 शीर्ष), 338 भा.द.सं के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 26.05.2007 फरियादी भगा बड़वानी से अंजड़ आने के लिए प्रातः 8:00 बजे के लगभग पाटीदार बस क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 में बैठा था। बस में अन्य सवारियों भी बैठी हुई थी। बस का चालक बस को तेज गति एवं लारवाहीपूर्वक चलाकर साईं मंदिर के पास लाया व बस को पलटी खिला दी जिससे उसे बायें पैर के घुटने एवं दाहिने हाथ में चोट आई थी। बस में बैठी अन्य सवारियों को भी चोटें आई थी जिसमें कुछ आहतों को बड़वानी अस्पताल चिकित्सा हेतु ले गये थे तथा कुछ आहतों को अंजड़ अस्पताल चिकित्सा हेतु लेकर आये थे। पुलिस ने फरियादी भगा द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वाहन पाटीदार बस क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/2007 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 16 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी भगा की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा-मौका पंचनामा प्रदर्शपी 11 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त महेन्द्रसिंह से वाहन पाटीदार बस क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 मय दस्तावेजों के तथा अभियुक्त महेन्द्रसिंह की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 35 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा, साक्षियों के समक्ष आहत भूपेन्द्र द्वारा पेश करने पर आहत भूपेन्द्र की एम.आई.आर. सेंटर चौईथराम अस्पताल इन्दौर से उसे अस्थि भंग होने की रिपोर्ट, आहत भूपेन्द्र का डिस्चार्ज कार्ड, भूपेन्द्र का बड़वानी से डिस्चार्ज कार्ड, आहत भूपेन्द्र का सिटी स्केन एक्सरे प्लेट नंग 3 जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त महेन्द्रसिंह को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 35 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। अनुसंधान के दौरान ही पुलिस ने फरियादी भगा एवं साक्षीगण भूपेन्द्र, शंकर, मंशाराम, मोहन, झंवरसिंह, हेमन्त, राकेश, मोहन, सुकुबाई, श्रीमती जेबुनिशा, सुमनबाई, श्यामाबाई, ग्यारूबाई, कमलाबाई, पार्वतीबाई, रामप्यारीबाई, भूरीबाई, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री विवेक श्रीवास्तव, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त महेन्द्रसिंह के विरुद्ध धारा 279, 337 (19 शीर्ष), 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.05.2007 को 8:30 बजे, ग्राम अंजड़-बड़वानी रोड़ साईं मंदिर के पास, आम रोड़ पर वाहन पाटीदार बस क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 को उपेक्षापूर्ण ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण का मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर उक्त वाहन को पलटी खिलाकर आहत भगा, जेबोनिशा, शंकर, झबरसिंग, सुमनबाई, श्यामबाई, गयाबाई, कमलाबाई, पार्वतीबाई, रामप्यारीबाई, मंशाराम, आकाश, मोहन, हेमंत, मुकुंद, राकेश, मोहन, संतुबाई एवं भुरीबाई को उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर उक्त वाहन को पलटी खिलाकर आहत भूपेन्द्र को घोर उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में शंकर (अ.सा.1), मंशाराम (अ.सा.2), आकाश (अ.सा.3), डॉ. दीपक मायरिया (अ.सा.4), हेमंत (अ.सा.5), मोहन (अ.सा.6), सरदारसिंह चौहान (अ.सा.7), राकेश (अ.सा.8), भूपेन्द्र (अ.सा.9), मोहन (अ.सा.10), सकुबाई (अ.सा.11), जेबुनिशा (अ.सा.12), ग्यारूबाई (अ.सा.13), श्यामाबाई (अ.सा.14), सुमनबाई (अ.सा.15), कमलाबाई (अ.सा.16), भगा (अ.सा.17), डॉ. अरविंद सत्य (अ.सा.18), बबनराव चौथरी (अ.सा.19), डॉ. श्रीमती गायत्री पण्डित (अ.सा.20), प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र कनेश (अ.सा.21) एवं विशाल पाटीदार (अ.सा.22) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, इस संबंध में फरियादी भगा (अ.सा.17) का कथन है कि लगभग 5-6 वर्ष पूर्व वह पाटीदार बस में बैठकर वह बड़वानी

से अंजड़ आ रहा था, बस में अन्य सवारियों भी बैठी हुई थी। बस अचानक पलटी खा गई, जिससे उसे तथा बस में बैठी अन्य सवारियों को चोटें आई थी। एम्बुलेंस से उसे अस्पताल लेकर गये थे। उसने थाना अंजड़ पर प्रदर्शपी 10 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 11 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने रिपोर्ट में पाटीदार बस का क्रमांक लिखाया था जो उसे याद नहीं है। न्यायालय द्वारा पूछने पर साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया कि उसने रिपोर्ट में बस का क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 लिखाया था या नहीं, लेकिन साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस रिपोर्ट प्रदर्शपी 10 एवं पुलिस कथन प्रदर्शपी 12 में यह लिखाया था कि बस का चालक बस को तेजी से चला रहा था और उसने बस को पलटी खिला दी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना लगभग 7-8 वर्ष पूर्व की है इसलिए वह बस चालक द्वारा बस को तेज गति से चलाने वाली बात बताना भुल गया था।

8. बबनराम चौधरी अ.सा. 19 से दिनांक 26.05.2007 को थाना अंजड़ में फरियादी भगा द्वारा पाटीदार बस क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 के चालक के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 74/07 प्रदर्शपी 16 का दर्ज करने और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी ने रिपोर्ट लिखाते समय बस का क्रमांक नहीं बताया था।

9. शंकर (अ.सा.1), मंशाराम (अ.सा.2), आकाश (अ.सा.3), हेमंत (अ.सा.5), मोहन (अ.सा.6), राकेश (अ.सा.8), मोहन पिता औंकार (अ.सा.10), सकुबाई (अ.सा.11), जेबुनिशा (अ.सा.12), ग्यारूबाई (अ.सा.13), श्यामाबाई (अ.सा.14), सुमनबाई (अ.सा.15), कमलाबाई (अ.सा.16) ने बडवानी से बैठकर आना और बस की दुर्घटना में उन्हें चोट आने के संबंध में कथन किये हैं, लेकिन उक्त साक्षियों का यह कथन है कि उन्होंने बस के चालक को नहीं देखा था और बस के चालक का नाम भी नहीं पता है। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर हेमंत अ.सा.5, मोहन अ.सा.6, राकेश अ.सा.8, भूपेन्द्र अ.सा.9, ग्यारूबाई अ.सा.13, श्यामाबाई अ.सा.14, सुमनबाई अ.सा.15, कमलाबाई अ.सा.16 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के बाद उन्होंने पुलिस को बस क्रमांक एम.पी. 46 ई 0108 बताया था। साक्षियों ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि बस का चालक बस को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को उक्त बातें अपने कथन में बताने से भी इंकार किया है।

10. डॉ. दीपक मायरिया अ.सा. 4 ने दिनांक 26.05.07 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में भूपेन्द्र पिता संतोष एवं मुकुंद पिता हीरालाल चौबे का मेडिकल परीक्षण करने पर उन्हें प्रदर्शपी 1 एवं 2 में दर्शित चौंटे आना पाई थी।

11. डॉ. अरविंद सत्य अ.सा.18 ने दिनांक 28.05.2007 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में फिमेल सर्जिकल वार्ड से आहत जेबुनिशा पति रशीद के दाँतों का एक्सरे परीक्षण करने पर उसे अस्थि भंग की चोट नहीं होना बताया था तथा अपना एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 14 और एक्सरे प्लेट प्रदर्शपी 13 भी प्रमाणित किया है।

12. डॉ. श्रीमती गायत्री पण्डित असा 20 ने दिनांक 26.05.07 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में बस दुर्घटना में घायल शंकर पिता दयारासम, मंशाराम पिता लोणिया, आकाश पिता शंकर, मोहन पिता देवजी, हेमंत पिता सद्दु, राकेश पिता बाबुलाल, मोहन पिता उंकार, सकुबाई पति कोमल, भुरीबाई पति फुटला, जेबुनिशा पति रशीद, भगा पिता कालिया, झवरसिंह पिता भलसिंह, सुमनबाई पति रमेश, श्यामाबाई पति शोभाराम, ग्यारूबाई पति सुपड़िया, कमलाबाई पति जगदीश, पार्वतीबाई पति गोकुल तथा रामप्यारीबाई पति पन्नालाल का मेडिकल परीक्षण करने तथा उन्हें प्रदर्शपी 17 लगायत 34 में दर्शित चौंटे होने के संबंध में साक्ष्य दी है।

13. सुरेश कनेश अ.सा. 21 ने दिनांक 26.05.07 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 74/07 की विवेचना के दौरान घटनास्थल अंजड़-बड़वानी रोड़ साईं मंदिर पहुँचकर प्रदर्शपी 12 का नक्शा मोवा पंचनामा बनाने, बस क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 के दस्तावेजों सहित जप्त करने, साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने के संबंध में साक्ष्य दी है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 35 की जप्ती अभियुक्त से नहीं की थी अथवा उसे किसी साक्षी ने कथन नहीं दिये थे अथवा उसे किसी साक्षी ने वाहन का क्रमांक नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य कार्यवाही की है।

14. विशाल पाटीदार अ.सा.22 का कथन है कि वह उपस्थित अभियुक्त को नहीं जानता है। वर्ष 2007-08 में उसके परिवार की बस बैड़िया से बड़वानी चलती थी जो उसके नाम से थी। उसका बस क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 था, लेकिन साक्षी ने बस की दुर्घटना होने के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं होना बताया है। उक्त साक्षी से न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने वर्ष 2007 में पुलिस को लिखित में प्रदर्शपी 37 के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि उक्त बस का दिनांक 26.05.07 को चालक अभियुक्त था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 37 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किये थे या वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

15. इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर बस क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतालेपन से चलाकर उनका मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उन्हें उपहति तथा भूपेन्द्र को घोर उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भादस की धारा 279, 337, 338 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त महेन्द्रसिंह के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त महेन्द्रसिंह को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 337 (19 शीर्ष), 338, भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पाटीदार बस क्रमांक एम.पी. 46 ई. 0108 को दिनांक 29.05.2007 को उसके पंजीकृत स्वामी विशाल पिता शिवशंकर पाटीदार, निवासी—ग्राम कुआं, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगी पर दी गई है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

